

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
107/2014	183, 188, 53 RTA	खानाखेडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
जमनालाल	बनाम	मांगीलाल वगै०	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

30-8-14  
 अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 53 RTA विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.08.2014 को पेश हो।

7-10-14  
 आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1-12-14 को पेश हो।  
 सिडर  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा / बारां

1-12-14 पत्रावली पेश हुई। वकील काडी उक्त जस्टिस की कोर्ट से श्री वकील लुकाट के एड का बकायामा पेश हुआ। पत्रावली वाहि जवाब दिनांक 12-1-15 को पेश हो।

12/15 वक्तुलाल पत्रावली जवाब देकर समय आया, वास्ते जमानत रिपत दि. 2/3/2015 को पेश हो।

3/15  
 आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14/5/15 को पेश हो।  
 सिडर  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा / बारां

45/15 वक्तुलाल पत्रा. 30/1 जवाब देकर समय आया। रिपत दिनांक 19-6-15 को पेश हो।

19/15  
 वकील फरीकेंन उपस्थित / पत्रावली सरिस्ता को अदालत / कोर्ट में पेश करने के लिए दिनांक 26/6/15 को पेश हो।

23/22

पत्रावली पेशा-डूई। बकुलार परीकेन उपस्थित। TDR  
 दस्ता से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। विभाजन प्रस्ताव  
 पर उभय पक्षकारान सहमत है कोई आपत्ति पेश  
 नहीं की गई है मुतगविक विभाजन प्रस्ताव के पक्ष  
 कारान के मध्य प्रथम-प्रथम वतवरी निम्न प्रकार किया  
 जाता है।

क्र.सं.	नाम रवातेदार	ख.न.	रकवा	भाग
1-	रिजुमेशन अमनलाल	43	0.03	0.14
	समनाराणी पुत्र श्यामलाल	49/1	0.03	0.19
	मेगलीवाई केवा श्यामलाल	62/1	0.06	2.15
	कम लोधा सा. देह रहन	104/1	1.05	1.56
	SBBJ (ADB) दस्ता	108/1	0.04	0.25
		132/1	5.05	0.15 6.25
		193/1	1.17	1.74

किता 7 रकवा 9.03 वीधा 12.43

2-	रिजुमेशन- भोगीलाल पुत्र	49	0.03	0.19
	माधोलाल कम लोधा	62	0.06	2.15
	सा. देह रहन SBBJ (ADB)	104	1.05	1.25
	दस्ता	108	0.04	0.15
		132	5.08	0.25 0.15
		193/2	1.17	6.56 1.74

किता 6 रकवा 9.03 वीधा 12.44

मुतगविक विभाजन प्रस्ताव के पक्षकारान के मध्य  
 प्रथम-प्रथम विभाजन किया जाकर राजस्व रिमाई में  
 अमल दरमद करे हेतु तहसीलदार दस्ता को आदेशित  
 किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्ली पन्ना जारी हो  
 पत्रावली पेशाल शुमार होकर दारखिल दफ्तर हो।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 छबडा, जिला बारां (राजप)

अंतिम डिक्री

संख्या 107/2014

धारा अंतर्गत 183, 188, 53 RTM

निर्णय दिनांक 23/3/22

समक्ष :- द्वारा श्रीमती मनीषा तिवारी RAS उपजिंड अधिकारी इकाई जिला-बारां  
 उपस्थिति :- अभिभाषक वादी श्रीम. प्रमोद शुभ्र अभिभाषक प्रतिवादी N.K Jain

वाद शीर्षक

- 1- जामनलाल पुत्र श्यामलाल
- 2- रामनारायण पुत्र श्यामलाल
- 3- मंगलीकाई वेवा श्यामलाल जाति धान लोधा निवासी खानखेडी इकाई

V/S

- 1- मांगीलाल पुत्र भादोलाल जाति लोधा निवासी खानखेडी तह. इकाई
- 2- राज. सरकार जय तहसीलदार इकाई/कमला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक तहसीलदार इकाई से

प्रारंभ विभाजन प्रस्ताव अनुशर पक्षकारान के मध्य पृष्क-पृष्क विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्रम. सं.	नाम स्वदेधार	ख.न.	रकबा	लगान
1	रिजुमेशन जामनलाल	43	0.03	0.14
	रामनारायण पुत्र श्यामलाल	49/1	0.03	0.19
	मंगलीकाई वेवा श्यामलाल	62/1	0.06	2.15
	लोधा निवासी सा. इ.इ	104/1	1.05	1.56
	रहन SBBJ (ADB) इकाई	108/1	0.04	0.25
		132/1	5.05	6.15
		197/1	1.17	1.74

कुल 7 रकबा 9.03 केवा 12.53

साथ ही निम्नानुसार

रु. का व्ययानुतोष

द्वारा को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश में अतिशर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक को निर्गत किया गया।

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( % )		
	योग		

(मनीषा तिवारी)  
 उपजिंड अधिकारी  
 छबड़ा, जिला-बारां (राज.)  
 छबड़ा